

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/19/1 /

जबलपुर, दिनांक २३/०४/२०१९

IV-12-14/80 VII-N

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-11-12/2010/नियम/चार भोपाल दिनांक 1 सितम्बर, 2012 के अनुसार मो. याकूब छीपा, भृत्य को दिनांक 27/03/2019 से गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत किया जाता है।

सही/-
(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)


पृष्ठांकन क्रमांक C/19/2 /

जबलपुर, दिनांक २३/०४/२०१९

IV-12-14/80 VII-N

प्रतिलिपि :-

- ✓ 1. रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
 - 2. असि. रजिस्ट्रार (स्था.), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
 - 3. अनुभाग अधिकारी लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
 - 4. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
 - 5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 - 6. मो. याकूब छीपा, भृत्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(अजय पवार)
ज्याइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल)

15.4.19

:: - ::